



तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज

10 व तारीख अहकाम  
जो इस हुक्म की  
तामील में जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर  
अपील संख्या- 59/2022 अंतर्गत धारा-76 एल.आर.एक्ट  
(GCMS No. 2022/71)

अनवान:

रामेश्वर पुत्र स्व. चन्द्रराम जाति जाट निवासी 1 आरजेएम  
तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. राजाराम पुत्र चन्द्रराम जाति जाट निवासी चक 1 आरजेएम  
(रोजड़ी) तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. विनोद पुत्र चन्द्रराम जाति जाट निवासी चक 1 आरजेएम  
(रोजड़ी) तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
3. विजयपाल पुत्र चन्द्रराम जाति जाट निवासी चक 1 आरजेएम  
(रोजड़ी) तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
4. रूकमा देवी पुत्री चन्द्रराम जाति जाट निवासी रोजड़ी तहसील  
घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
5. शान्ति देवी पत्नि चन्द्रराम जाति जाट निवासी रोजड़ी तहसील  
घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
6. चुन्नीलाल पुत्र चन्द्रराम जाति जाट निवासी सुनलई तहसील  
लूनकरणसर जिला बीकानेर।
7. जेठी देवी बैवा चन्द्रराम जाति जाट निवासी सुनलई तहसील  
लूनकरणसर जिला बीकानेर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
9. मुकेश देवी पत्नि विजयपाल जाति जाट निवासी रोजड़ी तहसील  
घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

21.12.2022


पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी श्री रामेश्वर पुत्र स्व. चन्द्रराम तथा अभिभाषक अपीलार्थी श्री राजेश बैद ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अभिभाषक अपीलार्थी संख्या 1, 2 व 3 श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने हमारे समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट एवं रेस्पोंडेन्ट्स के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। अपीलांट अब अपनी अपील आगे नहीं चलाना चाहता हैं एवं जरिये विद्रो खारिज करवाना चाहते है।

हमने अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 06.04.2022 के विरुद्ध इस न्यायालय में

संभागीय आयुक्त  
बीकानेर



विचाराधीन है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते एवं जरिये विद्रो खारिज करवाना चाहते है। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया ने उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अपनी अनापति व्यक्त की। अतः यह अपील अपीलांत जरिये विद्रावल (withdrawal) इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेश सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
राष्ट्रीय आयुक्त  
बीकानेर